U;k;ky; HkkiicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkuj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 43@2021

1- रेखा पत्नी मनोज जाति जाट निवासी ढाणी श्योराणी तहसील चिडावा जिला झुझनू ।
2- सुमन पत्नी विजय सिंह जाति जाट निवासी चहड खुर्द तहसील लुहारू जिला भिवानी ।

vihykVl

cuke

1. बस्तीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम चान्दगोठी तहसील राजगढ ।

–jLikM.Vl

2. राजरूप पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी चांदगोठी तहसील राजगढ ।
3. धनपत सिंह पुत्र राजरूप जाति जाट निवासी चांदगोठी तहसील राजगढ ।
4. कृष्णा देवी पत्नी धनपत सिह जाति जाट निवासी चांदगोठी तहसील राजगढ ।

–xk.k jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री रूपेन्द्रसिह अधिवक्ता अपीलांट्

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< ftyk p: d

fu.k; fnukd 01-09-2021 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—27.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 01.09.2021 के विरूद्व पेश हुई है ।

2. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि कृषि भूमिया पुश्तैनी है व सयुंक्त खातेदारी की उक्त कृषि भूमियों का मौका पर कब्जा काश्त व उपभोग, उपयोग के अनुसार बस्तीराम, राजरूप, रघुवीर तीनों भाईयों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से राजस्व कैम्प में खाता विभाजन दिनांक 12.02.2013 को किया गया था । खुले राजस्व कैम्प में पटवारी भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रेकार्ड में उल्लेखित कृषि भूमियों को तीनो की सहमति अनुसार नक्शा में रंग भर कर तीनों भाईयों के कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग अनुसार कृषि भूमियों को उप—विभाजित करते हुऐ उप खसरा नम्बर बनाते हुऐ उसी दिन मौका पर ही खाता विभाजन अनुसार नामान्तरकरण सं0 563 दिांक 12.02.2013 स्वीकृत कर दिया एवं तदनुसार खातेदारी जारी की दी गई । रेस्पो0 बस्तीराम खाता विभाजन अनुसार अपने हिस्सा मेंपूर्ववत काबिज चला आ रहा था तथा कूाननी रूप से विभाजन के बाद भी अपने हिस्सा में काबिज बना रहा । उसका पुरा परिवार इस विभाजन से सहमत था । किसी को काई आपत्ती नही थी । तीनो भाई खाता विभाजन अनुसार अपने अपने हिस्सा काश्त करते रहे है । रघुवीर ने अलग खातेदारी होने पर अपने खातेदारी ख0न0 1383/498 में से अपने भाई राजरूप के पुत्र धनपतसिंह को 253/2430 हिस्सा तथा कृष्णा देवी पत्नी धनपतसिह को 253/2430 हिस्सा बेच दिया जिसका नामान्तरकरण सं0 956 दिनांक 20.11.2017 को दर्ज हो गया । इसकी पूरी जानकारी रेस्पो0 बस्तीराम व उसके परिवार को थी । शेष भूमि रघुवीर के पास खातेदारी में रही । दिनांक 11.12.2020 को रघुवीर ने अपीलांट के पक्ष में पंजीकृत बैयनामा करा दिया तथा मौके पर कब्जा करा दिया इसका पता रेस्पो0 बस्तीराम के परवार को चला तो बेईमानीपूर्वके इस कृषि भूमि को हड़पना चाहते है झूठी मनगढ़त कहानी बनाकर बस्तीराम को आगे कर झूठा दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया व झगडा फसाद करने लगे जबकि रघुवीर द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अपीलांट को विधिवत रूप से विक्रय करके विक्रय पत्र को पंजीकृत करा मौका पर कब्जा दिया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सदभावनापूर्वक काबिज मालिक अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 01.09.2021 को जारी किया जो विधिक सिद्वांतो एवं न्याय के सिद्वांतो के विपरित है तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन का सिद्वांत एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होते हुऐ सभी न्यायिक सिद्वांतो एवं विधिक मान्यताओ को दरकिनार करते हुऐ जो आदेश दिनांक 01.09.2021 पारित किया गया वह अनुचित है अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 को खारिज करावें ।

3. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 1378/853 तादादी 1.51 हैक्टयर, ख0न0 1380/752 तादादी 1.83 हैक्टयर, ख0न0 1386/110 तादादी 1.51 हैक्टयर, ख0न0 1382/498 तादादी 1.41 हैक्टयर, ख0न0 1385/699 तादादी 0.10 हैक्टयर, ख0न0 1387/110 तादादी 1.50 हैक्टयर, ख0न0 1383/498 तादादी 4.86 हैक्टयर, ख0न0 1377/853 तादादी 1.52 हैक्टयर, ख0न0 1379/752 तादादी 1.84 हैक्टयर, ख0न0 1381/498 तादादी 2.90 हैक्टयर, ख0न0 1384/699 तादादी 0.10 हैक्टयर कुल तादादी 16.36 हैक्टयर रोही मोजा चांदगोठी तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित भूमि अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है । जिसका अधिनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन हेतु दावा पेश किया गया । दावे में सभी पक्षकारों को समान प्रकृति की समान हिस्से की कृषि भूमि दिलवाने हेतु विभाजन चाहा गया इससे पूर्व राजस्व कैम्प में अपीलांट/प्रतिवादियों द्वारा रेस्पो0/वादी को गुमराह एव अंधेरे में रखते हुए तहसीलदार के समक्ष वे विभाजन प्रस्ताव की सहमति अनुसार ख0न0 1381/498 व 1383/498 का खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार न होकर उसके विपरित किया गया । जिससे मुल खसरा न0 498 जो किमती खसरा है वो अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे में रख लिया गया । राजस्व तहसीलदार के समक्ष कैम्प में सभी पक्षकारों की सहमति से खाता विभाजन हुआ और उसी अनुसार नामान्तरकरण भी दर्ज हुआ लेकिन मौके पर कब्जा काश्त जो आपसी सहमति से हुआ विभाजन उसके विपरित होने के कारण पुनः अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन बाबत दावा पेश किया गया जिसमें आपसी सहमति व वर्तमान मौके की स्थिति में तहसीलदार राजस्व द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भिन्नता होना बताया है अतः सभी पक्षकारों का मौके व कब्जा काश्त के अनुसार व पूर्व मे हुई सहमति अनुसार खाता विभाजन किया जाना चाहियें । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 की पालना यथावत रखी जावे । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

4. हमने अपीलांट/रेस्पो0 पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । वादगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिस पर सभी पक्षकार पूर्व में कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण कृषि भूमि का स्वरूप समान है । ख0न0 498 अन्य विवादित खसरा नम्बरों से किमती खसरा नम्बर है जिसका विवाद सभी पक्षकारों के मध्य है । सभी पक्षकारों में राजस्व अभियान के दौरान तहसीलदार के समक्ष आपसी सहमति से खाता विभाजन हुआ एव उसी अनुसार नामान्तरकरण भी दर्ज हुऐ किन्तु आपसी सहमति अनुसार मौके पर विभाजन नही होने पर यह विवाद उत्पन्न हुआ है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि का कब्जा काश्त की तहसीलदार स्तर पर मौका रिपोर्ट मंगवाकर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं राजस्व मण्डल के आदेशानुसार मिटस एण्ड बाउण्डस एवम पैतृक सम्पति पर सभी का प्रत्येक ईंच पर समान हक हिस्सा के हिसाब से प्राथमिक डिक्री मंगवाई जाकर कार्यवाही की जावे ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार एवम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र 17–23 के अनुसरण में नियमानुसार तहसीलदार को मौके पर भेजकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव प्राप्त कर प्रक्रियानुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर आपतियों की सुनवाई उपरांत प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से को मध्य नजर रखते हुऐ प्रत्येक इंच पर समान अधिकार रखते हुऐ अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि को दृष्टिगत रखते हुऐ बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर नियमानुसार समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 27.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½

Hkw iwcU/k vf/kdkjh ,oa

inu jktLo vihy ikf/kdkjh

chdkusj